रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2643] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937
No. 2643] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3329(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में हंसूर तालुक में स्थित है और $12^0$17'16" से $12^0$20'41" उत्तर अक्षांश तथा $76^0$22'43" से $76^0$28'51" पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है और 13.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ;

और, अभयारण्य में विभिन्न प्राणिजात जिनके अंतर्गत तेंदुआ, चीतल, बनैला सुअर, भारतीय साही, भारतीय खरगोश, कॉमन मैल्गूज, लोमड़ी, चकोर, कोबरा, धामिन, वाइपर आदि का आश्रय स्थल है ;

और, अभयारण्य में शुष्क पर्णपाति झाड़ी वन हैं जिनमें सेंटालुम एलबम, एनोजैसस लेटिफोलिया, इम्बलिका ऑफिसिनालिस, फिकस स्पेसीज, हार्डविकिया बिनाटा, मिट्रागीना पर्विफ्लोरा, टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा, जिजीपस एसपीपी, कासिया फिस्टुला, डोंडोनिया विस्कोस, डॉयोस्पीरोस मेलोनोक्सीलोन, सीजीजियम कूमिनी, क्लोक्सीलोन स्वीटेनिया, अकासिया सुन्द्रा आदि आते हैं ;

और, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य में वर्ष 1992-93 के दौरान अभयारण्य से संलग्न 718.39 एकड़ राजस्व भूमि का अर्जन द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना की थी और रक्षा प्राधिकारियों ने संरक्षण के लिए अराबीथिटु वन्यजीव अभ्यारण की सीमा की बाड़ की है ;

और अभयारण्य में चराई का बहुत दबाव है क्योंकि यह बहुत से ग्रामों द्वारा घिरा हुआ है और वहां कोई अन्य वन भूमि नहीं है ;

और, उक्त पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में अराबीथिटु वन्यजीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में अराबीथिटु वन्यजीव अभ्यारण की सीमा से 0.015 किलोमीटर से 3.25 किलोमीटर तक परिवर्तित रूप से विस्तारित क्षेत्र को अराबीथिटु वन्यजीव अभ्यारण पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार अराबीथिटु वन्यजीव अभ्यारण की सीमा से 0.015 किलोमीटर से 3.25 किलोमीटर तक परिवर्तित रूप से विस्तारित और **उपाबंध I** में सीमा का वर्णन दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के हंसूर तालुक के बीस ग्राम सम्मिलित है और 39.76 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए यह निम्नलिखित सभी संबंधित राज्य सरकारों के विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 11, 17, 23, 29 और सं. 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के गृह आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचय ; और

(v) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या गैर-उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना, वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार होगा ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी पर्यटन क्रियाकलाप से संबधित पर्यटकों के अस्थायी अध्यासन के लिए आवासन के सिवाय अराबीथिटु पक्षी अभ्यारण की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटलों और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु अराबीथिटु पक्षी अभ्यारण की सीमा से एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल अभिहित क्षेत्र में नए होटलों और सैरगाहों का स्थापन अनुज्ञात होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना के लिए विधि के अनुसार, के सिवाय स्थापित नहीं होंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, भूमि, ध्वनि प्रदूषण करने वाले किन्हीं नए उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध किये गये अथवा विनियमित किसे जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के संदर्भ में गृहों के निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि की खुदाई और व्यक्तिगत उपयोग के लिए देशी खपड़ों या ईंट के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
(9)	सूक्ष्म और लघु विद्युत परियोजना	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
(10)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु शतप्रतिशत आयातित काष्ठ स्टाक उपयोग करने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित हो सकेंगे।
(11)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक संवेदी पर्यटन स्थापन से संबंधित अस्थायी अधिभोग के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए वाणिज्यिक होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे : परंतु अराबीथिटु पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक पर्यटक महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल नए होटल और सैरगाह के स्थापन अनुज्ञात होंगे।

(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्ति अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत क्रम सं. 3 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने को अनुज्ञात होंगे । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	विद्युत केबलों का परिनिर्माण ।	a. भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना । b. विद्यमान घरेलू लाइनों, यदि 20डिग्री से कम ढलान के लिए 20 फीट ऊंचाई पर भूमि से ऊपर होंगी और 30 डिग्री से अधिक ढलान के लिए भूमि से 30 फीट की ऊंचाई पर होंगी । c. 11किलो वाट तक घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों के बिछाने में भविष्य के लिए भूमिगत होंगी । d. 11किलो वाट से अधिक किसी पारेषण के लिए "अवतलन" बिंदु पर दो टावरों के मध्य भूमि से कम से कम 15मीटर की ऊंचाई होगी ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे *
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वायु (ध्वनि सहित) और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	पोलीथिन थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप :	
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुमन होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग ।	जैविक-गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) प्रादेशिक आयुक्त, मैसूरु क्षेत्र, मैसूरू - अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य;

(iii) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य;

(iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(v) प्रादेशिक अधिकारी, मैसूर, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;

(vi) राज्य के किसी ख्यातिप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक विज्ञान का एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट होगा –सदस्य;

(vii) उपायुक्त या मैसूरू जिले का प्रतिनिधि – सदस्य;

(viii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मैसुरू – सदस्य;

(ix) विधान सभा का सदस्य हंसरू – सदस्य;

(सुसंगत अनुमोदन के अंतर्गत यदि अपेक्षित हो, विधान सभा कर्नाटक के अध्यक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करना कर्नाटक राज्य सरकार के अधीन रहते हुए)

(x) उपवन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, मैसूर – सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें:

(1) मानीटरिंग समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/135/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर: अर्बिथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा हागरनाहल्ली मंटी कोप्पलू गांव मार्ग त्रि-जंक्शन बिदुं से शुरू होती है। यह सीमा-रेखा मार्ग के साथ-साथ पूर्व दिशा से होते हुए सरवनाहल्ली गांव के प्रवेश द्वार तथा शानुभोगनाहल्ली गांव तक पहुंचती है और यह सीमा-रेखा पहले उत्तर की ओर फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और रंगय्याना कोप्पालु गांव को छूती है तथा मार्ग के साथ-साथ चलते हुए यम्मेकोप्पालु गांव तक पहुंचती है। उसके बाद यह यम्मेकोप्पालु बोलानहल्ली मार्ग के साथ-साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है तथा बोलनाहल्ली गांव के पास मैसूर-हसन मार्ग को छूती है।

पूर्व: अर्बिथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की पूर्वी सीमा बोलनाहल्ली गांव के पास मैसूर-हसन मार्ग से शुरू होती है। तब यह सीमा-रेखा दक्षिण की ओर चलते हुए मैसूर-हसन मार्ग से गुजरती है तथा राज्य राजमार्ग पर पेट्रोल बंक के पास त्रि-जंक्शन बिंदु को छूती है। तब यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ती है तथा ओल्ड मैसूर-हनसर मार्ग से गुजरती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा मल्लीनाथुपरा गांव के निकट मैसूर-बंतवाल राज्य राजमार्ग को छूती है। उसके बाद यह रेखा राज्य-राजमार्ग के साथ उत्तर पूर्व की ओर चलती हुई बिलिकेरे गांव के विस्तार क्षेत्र के बिंदु तक पहुंचती है। फिर यह सीमा- रेखा सड़क के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर चलती है तथा जीनाहल्ली गांव पहुंचती है और पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा डल्लालू गांव में बिलिकेर-गड्डीगे मार्ग पहुंचती है। उसके बाद यह सीमा-रेखा मार्ग के साथ-साथ दक्षिण की ओर चलती है तथा डल्लालुकोप्पालु गांव को छूती है। उसके बाद यह रेखा दक्षिण की ओर चलते हुए बिलिकेरे-गड्डीगे मार्ग पर डल्लालुकोप्पालु के पास त्रि-जंक्शन बिंदु पर पहुंचती है।

दक्षिण: अर्बिथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा बिलिकेरे -गड्डीगे मार्ग पर दल्लालूकोप्पालू गांव के निकट त्रि-जंक्शन से शुरू होती है। फिर यह सीमा-रेखा पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा राजकीय उच्च विद्यालय के निकट गगेनहल्ली द्वार को छूते हुए हालेपुरा केरे तक दक्षिण पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा हालेपुरा गांव को छूती है। फिर मार्ग की ओर चलते हुए यह सीमा-रेखा हालपुरा, होसापुरा चल्लाहल्ली गांव के त्रि-जंक शन बिंदु तक पहुंचती है। उसके बाद यह सीमा-रेखा सड़क के साथ-साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए होसापुर गांव को छूते हुए होसापुरा केरे बिंदु तक पहुंच जाती है।

पश्चिम: अर्बिथिड्डू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा होसापुर केरे बिंदु से शुरू होती है। फिर यह सीमा-रेखा सड़क के साथ-साथ उत्तर दिशा में मुड़कर मुदालुकोप्पालु गांव तक जाती है। उसके यह रेखा पश्चिम दिशा की ओर मुड जाती है तथा मरालय्याना कोप्पालु गांव पहुंचती है तथा सड़क के साथ-साथ दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए डोडेगोवदानाकोप्पालु गांव तक पहुंचती है। फिर यह रेखा पश्चिम की ओर चलते हुए उद्दुरू -बन्नीकुप्पे सड़क के त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है। उसके बाद यह रेखा सड़क के साथ-साथ उत्तर की ओर चलते हुए बन्नीकुप्पे गांव तक पहुंचती है। फिर यह रेखा बन्नीकुप्पे सरकारी अस्पताल के निकट मैसूर-बंतवाल राज्य राजमार्ग (एस.एच-88) को छूती है। फिर यह राज्य राजमार्ग सड़क के साथ-साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा कुप्पेकोलागट्टा खंड 4 घोषित क्षेत्र के स्टोन सं. 223 पर आरक्षित वन को छूती है। फिर यह सीमा-रेखा इस वन सीमा के साथ-साथ पहले उत्तर दिशा की ओर फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद यह रेखा वन सीमा के साथ-साथ पहले उत्तर-दिशा की ओर मुड़ जाती है। फिर यह सीमा-रेखा पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है और पैदल पथ ओर कार्ट ट्रेक से गुजरते हुए शुरूआती बिंदु पर पहुंचती है।

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

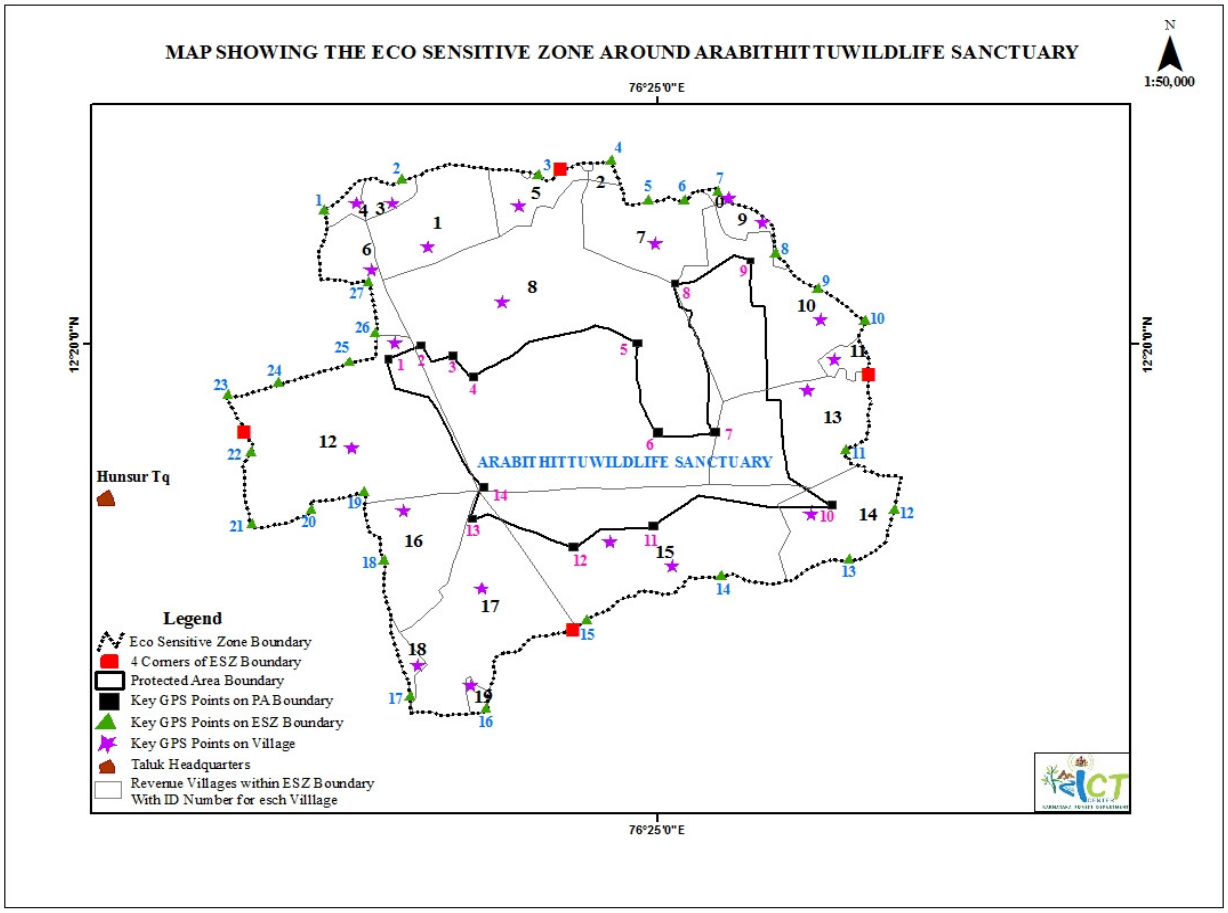

उपाबंध-II जारी..

अराबीथिटु वन्यजीव अभ्यारण सीमा पर मुख्य बिंदु (सारभौमिक स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र की आई डी	अक्षांस (डेसिमल डिग्री)	देशान्तर (डेसिमल डिग्री)
1	12.331389°	76.375942°
2	12.333736°	76.382019°
3	12.333792°	76.386231°
4	12.328117°	76.388239°
5	12.337221°	76.406276°
6	12.316467°	76.412654°

7	12.318333°	76.425256°
8	12.343128°	76.416696°
9	12.346182°	76.430117°
10	12.314888°	76.438113°
11	12.306693°	76.415283°
12	12.309328°	76.402374°
13	12.297343°	76.398062°
14	12.312491°	76.390854°

उपाबंध-II जारी..

अराबीथिटु वन्यजीव अभ्यारण सीमा पर मुख्य बिंदु (सारभौमिक स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र की आई डी	अक्षांस (डेसिमल डिग्री)	देशान्तर (डेसिमल डिग्री)
1.	12.353583°	76.369889°
2.	12.357599°	76.381249°
3.	12.357237°	76.400761°
4.	12.360006°	76.409964°
5.	12.351711°	76.415502°
6.	12.352717°	76.420235°
7.	12.356178°	76.424915°
8.	12.344816°	76.435461°
9.	12.341279°	76.440204°
10.	12.336529°	76.446535°
11.	12.317890°	76.443293°
12.	12.304890°	76.429052°
13.	12.299490°	76.425586°
14.	12.298132°	76.420210°
15.	12.280028°	76.392235°
16.	12.279870°	76.381061°
17.	12.301846°	76.377262°

मानचित्र की आई डी	अक्षांस (डेसिमल डिग्री)	देशान्तर (डेसिमल डिग्री)
18.	12.311678°	76.374521°
19.	12.309168°	76.367288°
20.	12.306937°	76.358251°
21.	12.325622°	76.354930°
22.	12.356033°	76.357142°
23.	12.331722°	76.375990°
24.	12.337461°	76.376105°
25.	12.331596°	76.376213°
26.	12.335764°	76.376419°
27.	12.342714°	76.375313°

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र की आई डी	ग्राम का नाम	तालुक का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	मानचित्र की आई डी	अक्षांस (डेसिमल डिग्री)	टिप्पणी
0	बोलनाहल्ली	हूँसुर	5.71	12.355895°	76.424658°	आंशिक ग्राम सीमा
1	श्रवनहल्ली	हूँसुर	231.16	12.352743°	76.381531°	
2	लाक्कुर	हूँसुर	12.94	12.357611°	76.409818°	
3	रयनहल्ली	हूँसुर	33.87	12.356395°	76.376864°	
4	हगरनहल्ली	हूँसुर	11.47	12.353378°	76.370561°	
5	शानुभोगानहल्ली	हूँसुर	78.68	12.357122°	76.399806°	
6	मरदुरु	हूँसुर	51.50	12.346651°	76.373354°	
7	रंगैाहनकोप्पालु	हूँसुर	194.57	12.347788°	76.415258°	
8	कुप्पेकोलघट्टा	हूँसुर	666.00	12.339632°	76.395704°	संपूर्ण ग्राम सीमा
9	होसहल्ली केवल	हूँसुर	45.77	12.350096°	76.430894°	आंशिक ग्राम सीमा
10	मल्लिनाथपुरा	हूँसुर	283.90	12.340032°	76.440063°	

11	बिलिकेरे	हूँसुर	39.84	12.330415°	76.445259°	
12	बन्नई कुप्पे	हूँसुर	706.50	12.318655°	76.360631°	
13	जीनहल्ली	हूँसुर	211.30	12.328062°	76.436026°	
14	दल्लालु	हूँसुर	215.60	12.309390°	76.436010°	
15	गगनहल्ली	हूँसुर	486.40	12.301093°	76.417926°	
16	मदहल्ली	हूँसुर	215.88	12.310542°	76.375756°	
17	हलेपुरा	हूँसुर	450.00	12.295118°	76.392647°	
18	मदहल्ली केवल	हूँसुर	13.86	12.292311°	76.379377°	
19	थिप्पुर	हूँसुर	21.39	12.280732°	76.388638°	
		योग:	**3976.34**			

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति, पर्यटन महायोजना सहित।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए निपटान किए गए मामलों का सारांश। विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों के लिए संविक्षा किये गए मामलों का सारांश। विवरण पृथक उपाबंध के रूप संलग्न करें।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों के लिए संविक्षा किए गए मामलों का सारांश। विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

S.O. 3329(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Arabithittu Wildlife Sanctuary is situated in Hunsur Taluk of Mysore district, Karnataka and lies between the Latitudes 12º 17' 16" to 12º 20' 41" North and longitudes 76º 22' 43" to 76º 28' 51" East and is spread over an area of 13.5 square kilometers;

And whereas, the sanctuary harbours varied fauna including Panther, Spotted Deer, Wild Boar, Indian Porcupine, Indian Hare, Common Mangoose, Fox, Partridges, Cobra, Rat Snakes, Viper etc.;

And whereas, the Sanctuary has dry deciduous scrub forests which have S*antalum album, Anogeissus latifolia, Emblica officinalis, Ficus species, Hardwikia binata, Mitragyna parviflora, Terminalia tomentosa, Zizypus spp, Cassia fistula, Dodonea viscose, Diospyros melanoxylon, Syzygium cumini, Chloroxylon swietenia, Acacia sundra* etc,.

And whereas, the Ministry of Defence, Government of India, has set up a Defense Research and Development Organization establishment at Arabithittu Wildlife Sanctuary by acquiring 718.39 Acre revenue lands adjacent to the sanctuary during the year 1992-93 and the defense authorities have fenced the boundary of Arabithittu Sanctuary for protection;

And whereas, the pressure of grazing on the Sanctuary is high as it is surrounded by many villages and there is no other forest land;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Arabithittu Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.015 kilometers to 3.25 kilometers from the boundary of Arabithittu Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Arabithittu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying from 0.015 kilometers to 3.25 kilometers from the boundary of the Arabithittu Wildlife Sanctuary and the description of boundaries is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone includes 20 villages of Hunsur Taluk of Mysore District in Karnataka and is spread over an area of 39.76 square kilometers.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure II;**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) State Pollution Control Board;

(x) Irrigation; and

(xi) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Arabithittu Bird Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Arabithittu Bird Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and made thereunder.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9	Micro and Mini Hydel projects	Regulated under applicable laws.
10	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood-based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100 percent imported wood stock

11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Arabithittu Bird Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
12	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer and up to the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables	(a) Promote underground cabling. (b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground. (d) For any transmission line more than 11 KV, the "sag" point between the two towers should be at least 15 meters from the ground.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
26	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.
27	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio-gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) The Regional Commissioner, Mysuru Region, Mysuru – Chairman.

(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member.

(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member.

(iv) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case - Member.

(v) The Regional Officer, Mysore, Karnataka State Pollution Control Board – Member.

(vi) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case – Member

(vii) Deputy Commissioner or his representative Mysuru District – Member.

(viii) The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath, Mysuru - Member.

(ix) Member of Legislative Assembly –Hunsur –Member

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).

(x) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore - Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/135/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone

North: The boundary of Eco-Sensitive Zone to Arabithittu Wildlife Sanctuary begins from Hagarnahalli-Manti Koppalu village road tri-junction point. The line runs east direction along the road and reaches the Sravanahalli village gate and reaches the Shanubhoganahalli village and line moves towards north and then turns to east and touches the Rangayyana Koppalu village and passes along the road and reach the Yammekoppalu village. Then the line runs towards north direction along the Yammekoppalu - Bolanahalli road and touches the Mysore – Hassan Road near Bolanahalli village.

East: The Eastern boundary of Eco-Sensitive zone of Arabithittu wildlife Sanctuary starting from Mysore – Hassan Road near Bolanahalli village. Then the line runs towards south passes along the Mysore- Hassan road and touches the Tri-junction point near Petrol Bunk on the State Highway. Then line turns towards east and passes through the old Mysore-Hunsur road and turns to south and touches the Mysore-Bantwal State highway road near Mallinathpura village. Then the line runs towards north east along the state highway road and reaches the point of extension area of Bilikere village. Then the line runs towards south direction along the road and reaches the Jeenahalli village and moving towards east direction and reaches the Bilikere-Gaddige road at Dallalu village. Then the line runs towards south along the road and touches Dallalukoppalu village. Then the line moving towards south and reaches the tri-junction point near Dallalukoppalu village on Bilikere- Gaddige Road.

South: The Southern boundary of Eco-Sensitive zone of Arabithittu wildlife Sanctuary begins from tri-junction point of near Dallalukoppalu village on Bilikere- Gaddige road. Then the line turns towards west direction and touches the Gagenahalli gate near Govt. High school and then moving towards south west upto Halepura kere and turns to south direction and touches the Halepura village. Then the line moving towards road reach the Tri-junction point of Halpura, Hosapura Challahalli villages. Then line runs towards west direction along the road to touches the Hosapura village and moves upto Hosapura Kere Point.

West: The Western boundary of Eco Sensitive zone of Arabithittu wildlife Sanctuary begins from Hosapura kere point. Then the line turns towards north direction to reaches the Mudalukoppalu village, along the road. Then the line turns towards west direction and reaches the Maralayyana koppalu village and moves towards south west along the road and reaches the Doddegowdanakoppalu village. Then the line runs towards west and reaches the tri-junction point of Udduru-Bannikuppe road. Then the line runs towards north along the road and reaches the Bannikuppe village. Then the line touches the Mysore-Bantwal state highway (S.H.-88) road near Bannikuppe Govt. Hospital. Then the line turns towards east direction all along the state highway road and touches the reserved forest Stone No. 223 of Kuppekolagatta section 4 declared area. Then the line turns towards north direction all along this forest boundary. Then the line turns towards west direction, then the line turns towards north direction along the forest boundary. Then the line turns towards west and north direction, passes along the footpath and cart track and reach the starting point.

Annexure II

Map of proposed Eco-Sensitive Zone:

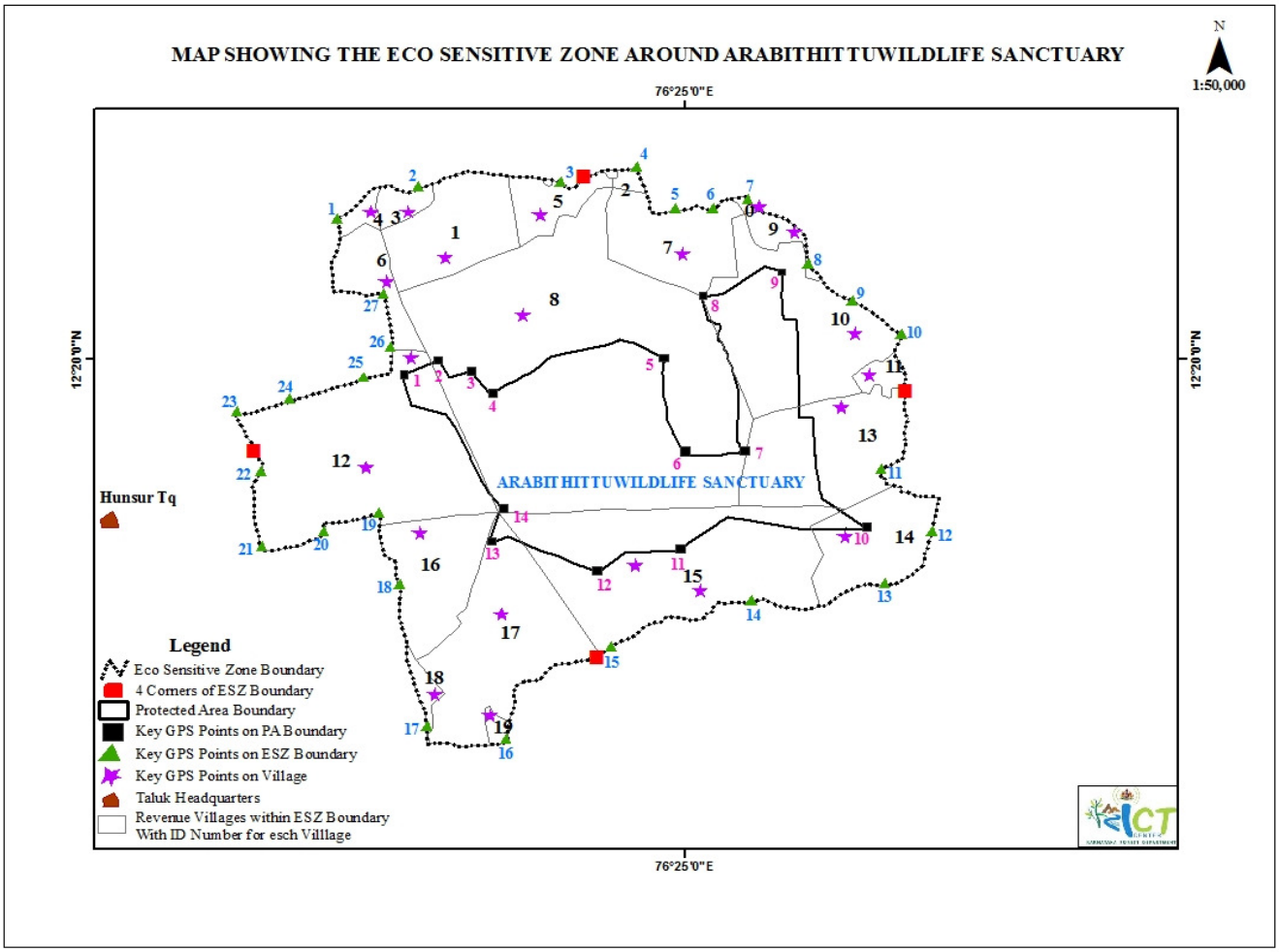

Annexure II contd..

Key points (Global Positioning System Points) on the Arabithitu Wildlife Sanctuary boundary.

Map ID	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
1	12.331389°	76.375942°
2	12.333736°	76.382019°
3	12.333792°	76.386231°

Map ID	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
4	12.328117°	76.388239°
5	12.337221°	76.406276°
6	12.316467°	76.412654°
7	12.318333°	76.425256°
8	12.343128°	76.416696°
9	12.346182°	76.430117°
10	12.314888°	76.438113°
11	12.306693°	76.415283°
12	12.309328°	76.402374°
13	12.297343°	76.398062°
14	12.312491°	76.390854°

Annexure II contd..

Key points (Global Positioning System Points) on the Eco-sensitive zone boundary.

Map ID	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
1.	12.353583°	76.369889°
2.	12.357599°	76.381249°
3.	12.357237°	76.400761°
4.	12.360006°	76.409964°
5.	12.351711°	76.415502°
6.	12.352717°	76.420235°
7.	12.356178°	76.424915°
8.	12.344816°	76.435461°
9.	12.341279°	76.440204°
10.	12.336529°	76.446535°
11.	12.317890°	76.443293°
12.	12.304890°	76.429052°
13.	12.299490°	76.425586°
14.	12.298132°	76.420210°

Map ID	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
15.	12.280028°	76.392235°
16.	12.279870°	76.381061°
17.	12.301846°	76.377262°
18.	12.311678°	76.374521°
19.	12.309168°	76.367288°
20.	12.306937°	76.358251°
21.	12.325622°	76.354930°
22.	12.356033°	76.357142°
23.	12.331722°	76.375990°
24.	12.337461°	76.376105°
25.	12.331596°	76.376213°
26.	12.335764°	76.376419°
27.	12.342714°	76.375313°

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

Map ID	Name of the Village	Name of the Taluk	Area in ha	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)	Remarks
0	Bolanahalli	Hunsur	5.71	12.355895°	76.424658°	Partial Village Boundary
1	Shravanahalli	Hunsur	231.16	12.352743°	76.381531°	
2	Lakkur	Hunsur	12.94	12.357611°	76.409818°	
3	Rayanahalli	Hunsur	33.87	12.356395°	76.376864°	
4	Hagaranahalli	Hunsur	11.47	12.353378°	76.370561°	

5	Shanubhoganahalli	Hunsur	78.68	12.357122°	76.399806°	
6	Maraduru	Hunsur	51.50	12.346651°	76.373354°	
7	Rangaiahnakoppalu	Hunsur	194.57	12.347788°	76.415258°	
8	Kuppekolaghatta	Hunsur	666.00	12.339632°	76.395704°	Entire Village Boundary
9	Hosahalli Kaval	Hunsur	45.77	12.350096°	76.430894°	Partial Village Boundary
10	Mallinathapura	Hunsur	283.90	12.340032°	76.440063°	
11	Bilikere	Hunsur	39.84	12.330415°	76.445259°	
12	Banni Kuppe	Hunsur	706.50	12.318655°	76.360631°	
13	Jeenahalli	Hunsur	211.30	12.328062°	76.436026°	
14	Dallalu	Hunsur	215.60	12.309390°	76.436010°	
15	Gagenahalli	Hunsur	486.40	12.301093°	76.417926°	
16	Madahalli	Hunsur	215.88	12.310542°	76.375756°	
17	Halepura	Hunsur	450.00	12.295118°	76.392647°	
18	Madahalli Kaval	Hunsur	13.86	12.292311°	76.379377°	
19	Thippur	Hunsur	21.39	12.280732°	76.388638°	
		Total:	**3976.34**			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.